उत्तराखण्ड की पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

***डा0 रेखा मेहरा**
****कु0 गीता तिवारी**

भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। लगभग 72 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गावों में निवास करती हैं। लगभग 121 करोड़ जनसंख्या वाले भारत मे केन्द्र और राज्य सरकारें असंख्य गावों का विकास नही कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव, कस्बे, जिलों और तहसीलों की अपनी आवश्यकता हैं। इसके साथ ही सभी स्थानों के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का धरातल भी *समान* नही होता हैं।

लोकतान्त्रिक सरकारे जनता के प्रति जबावदेय होती हैं। इसीलिए शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भारत के संविधान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को अपनाया गया हैं। यह व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक संरचना की परिकल्पना करती हैं, जिसमें राजशक्ति और सरकार पर व्यक्ति की निर्भरता गौण हो जाती हैं व लोगों के सक्रिय सहयोग से प्रत्येक गांव अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता हैं।महात्मा गांधी ने देश की स्वतन्त्रता से पहले पंचायतीराज व्यवस्था की परिकल्पना की थी।

गांधी जी ने कहा था कि 'स्वतन्त्रता निचले स्तर से उठनी चाहिए। इसलिए हर गांव हर रूप से सक्षम होना चाहिए ''

महात्मा गांधी की इच्छा थी कि पूरे भारतवर्श का प्रषासन नये युग में भी पंचायती राज प्रकिया पर कार्य करे। वह चाहते थें कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तथा विकेन्द्रीकरण के माध्यम से गांवों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव होगा।

स्वतन्त्रता के पश्चात् 1957 ई. में बनी बलवन्त राय समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की गयी। 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली पंचायत का शुभारंभ किया गया। 1977 में केन्द्र में स्थापित जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ इसे प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दियें। नरसिम्हाराव सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ही 73वें सविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सितम्बर 1991 में सरकार ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तावित किया। 22 दिसम्बर 1992 को यह विधेयक लोकसभा व 23 दिसम्बर 1992 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक को राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल 1993 को एक अधिसूचना के जरिये अधिनियम लागू हो गया।

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप महिलाओं के लिए पंचायत में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान रखा गया। जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला और महिलाओं ने यह साबित किया कि वे नेतृत्व की भूमिका को निभा सकती हैं। 2 मार्च 2008 में राजस्थान राज्य ने महिलाओं की पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके महिलाओं के लिए

*असि0 प्रोफेसर राजनीति शास्त्र एम0बी0पी0जी0 कालेज हल्द्वानी।
**शोध छात्रा राजनीति शास्त्र एम0बी0पी0जी0 कालेज हल्द्वानी।

आरक्षण 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया हैं।

महिला प्रतिनिधियों ने गांवों के स्वरूप को बदल दिया हैं पंचायत से मिले अधिकारों ने महिलाओं के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया हैं। महिलाएँ अब इन अधिकारों को पहचान कर उनका प्रयोग करने लगी हैं। जिससे उनकी सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ हैं। महिलाओं में पंचायती स्तर पर आगे आने से समाज की अन्य महिलाओं में भी आगे आने का हौसला जागेगा। तथा वे अपने विचारों, रायों, समस्याओं को व्यक्त करने, अपनी समस्याओं को उठाने एवं अपने प्रति हो रहे अत्याचार एवं शोषण के विरूद्व आवाज उठाने के लिए प्रेरित होगी।

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए यह आवश्यक हैं कि वे ग्राम पंचायतों में आगे बढ़े, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हों और महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ साकार हो। ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए यदि महिलायें गांवो की बागडोर को अपने हाथ में लेती हैं, तो इससें महिलाओं के विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास भी तीव्र होगा और यह पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही हो सकता है।

राजधानी दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था के 15 वर्षों की उपलब्धियों तथा स्थानीय लोकतन्त्र को अधिक सशक्त बनाने के मुदों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्व **प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा – ''पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया है ।''**

इसमें कोई संदेह की बात नहीं हैं कि देश भर में चुने हुए 26 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग 10 लाख प्रतिनिधि महिलाएँ हैं । इसके साथ ही यह भी एक तथ्य हैं कि नवनिर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों की सख्या, विश्व के कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सख्या से भी अधिक हैं ।

भारत की 72 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती हैं। यही हमारे देश की सर्वाधिक महिलाएं अन्याय, अत्याचार, कार्य बोझ और कार्य उत्पीड़न का शिकार है। निचले ग्रामीण स्तरों पर पंचायत राज संस्थायें ही एक ऐसी सीढ़ी हैं। जो महिला सशक्तिकरण को सही दिशा दे सकती हैं। 70 के दशक के उपरान्त उनको राजनैतिक अधिकार देने के सम्बंध में गम्भीरतापूर्वक सोचा जाने लगा। कर्नाटक पहला राज्य हैं जिसमें जिला और मण्डल (पंचायत) स्तर पर 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। 1988 ई. में एक राष्ट्रीय महिला दृष्टिकोण योजना महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और अल्प प्रतिनिधित्व पर चर्चा में लिए बनाई गयी। जिसने स्थानीय स्वशासन में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण की सिफारिश की।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संषोधन के द्वारा महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक उपबन्धों को समाविष्ट करने के अलावा महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान संषोधित किया गया हैं। **73 वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल स्थान पद का कम से कम एक तिहाई प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो तथा वह सीटें पंचायत के भिन्न निर्वाचन क्षेंत्रो के चक्रानुक्रम द्वारा आंवटित की जा सकती हैं।**

उत्तराखण्ड राज्य भारतीय गणराज्य का नवनिर्मित 27 वॉ राज्य हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इस प्रदेश में अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य का लगभग 23 प्रतिशत भाग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित इस प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतीय है। उत्तराखण्ड राज्य 13 जिलों उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढवाल, टिहरी गढवाल, गढवाल मण्डल के तथा नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, कुमांऊ मण्डल के जिलों को सम्मिलित करके बना हैं। उत्तराखण्ड राज्य 28 43′ से 31 27′ उत्तरी अक्षांश तथा 77 34′

से 81 02′ पूर्वी देशान्तर एवं पूर्व से पश्चिम इसका अधिकतम विस्तार 358 किमी तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 320 किमी हैं। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,086,292 हैं। जिसमें से 5,137,773 पुरूष तथा 4,948,519 महिलाएं हैं। इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून हैं। और राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित हैं। उत्तराखण्ड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली तथा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चम्पावत हैं। हरिद्वार इस प्रदेश का सर्वाधिक जनसख्या घनत्व वाला जिला तथा उत्तरकाशी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हैं।

उत्तराखण्ड का अधिकांश भाग ग्रामीण हैं। राज्य की 69 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायते विद्यमान है। राज्य के 13 जनपदों के 16826 गांवो का विकास करने के लिए राज्य में 95 विकासखण्ड तथा 7982 ग्राम पंचायतें तथा 13 जिला पंचायतें वर्तमान समय में गठित की गयी है। उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायतें, पंचायती राज अधिनियम 1947 के अधीन 15 अगस्त 1949 से स्थापित की गयी थी। इसके पश्चात् उ0प्र0 जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति अधिनियम 1961 के अधीन वि0ख0 स्तर पर क्षेत्र पंचायतें व जिला स्तर पर जिला पंचायतें स्थापित की गयी। इन संस्थाओं का मुख्य उददे्श्य उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकायों की स्थापना तथा विकास कार्य करना तथा ग्राम स्तर पर पंचायत विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना करके सरकार के कार्यों का प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करना था।

गांवों की सुरक्षा, समस्याओं के निराकरण करने एवं विकास कार्य करने के लिए वर्तमान समय में **उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 7982 ग्राम पंचायतें, 95 विकासखण्ड एवं 13 जिला परिषद** गठित की गयी हैं। उत्तराखण्ड के **पौडी गढ़वाल जनपद में सर्वाधिक 15 विकास खण्ड एवं 1208 ग्राम पंचायतें हैं। तथा रूद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलें में 3–3 विकासखण्ड** हैं। जो कि उत्तराखण्ड के सबसे कम विकासखण्ड वाले जिले हैं। तथा **सबसे कम ग्राम पंचायतें 290 चम्पावत जिलें** में हैं। कुमाऊं मण्डल का नैनीताल जनपद 8 विकासखण्ड– रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, कोटाबाग, ओखलकाण्डा, धारी, बेतालघाट, रामगढ़ में विभक्त हैं। यहां 510 ग्राम पंचायतें एवं 271 क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा 31 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हैं।

उत्तराखण्ड में पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में **महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण** दिया गया हैं। वर्तमान समय मे **नैनीताल जिले में 510 ग्राम प्रधान,** 271 **क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 31 जिला पंचायत सदस्य** ग्रामीण नेतृत्व की बागडोर सभाले हुए हैं। **वर्तमान में नैनीताल जनपद के अर्न्तगत** ग्राम पंचायत की 510 सीटों में **से 266 महिला प्रधान** एवं क्षेत्र पंचायत की 271 सीटों में से **139 महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य** एवं जिला पंचायत की **31 सीटों में से 16 पर महिला जिला पंचायत सदस्य** ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

धन सिंह रावत ने ''नवीन पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन'' में यह माना हैं कि "महिलाओं एवं अनुसूचित जाति / जनजाति को दिया गया आरक्षण उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उत्तम कदम हैं। इससे जनता और राष्ट्र की प्रगति संभव हैं।"

सदियों से भारतीय समाज पुरूष प्रधान रहा हैं। आज भी बहुत से परिवारो में बेटी की अपेक्षा बेटे को वरीयता दी जाती हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र को ही पारिवारिक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता हैं। पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में नारी को स्वतन्त्रता, स्वविवेक व बुद्वि का प्रयोग करने देने के स्थान पर अनेक अत्याचारों जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सामाजिक भेदभाव आदि के द्वारा शोषित किया जाता रहा है। परन्तु ऐसा भी नहीं हैं कि हर काल में नारी को हेय दृष्टि से देखा गया हो। हमारे प्राचीन ग्रन्थ न केवल नारी की महिमा के वर्णन से भरे पडे हैं। वरन् नारी को समाज में उच्च स्थान का आभास भी देते हैं। परन्तु दूसरी ओर नारी की दुर्दशा पतन एवं नारी के द्वारा

अधिकारों के लिए संघर्श का इतिहास भी इसका अभिन्न अंग हैं। जिसका प्रारम्भ मध्यकाल से हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया हैं। स्वतन्त्र भारत में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही बरते जाने का प्रावधान हैं। संविधान के द्वारा स्त्रियों को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की इकाईयों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं– कुल स्थान/पद का कम से कम एक तिहाई प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो और वह सीटे पंचायत के भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम द्वारा आंवटित की जा सकती हैं।

सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जन–जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होगें।

प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षो के पदों की कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

73वें संविधान संशेाधन अधिनियम के अर्न्तगत राज्यों ने अपने अपने पंचायती राज अधिनियम पारित किए। देश में सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य ने 1993 ई. में पंचायती राज अधिनियम अपने यहां लागू किया। जिसमे महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

9 नवंबर 2000 को गठित उत्तराखण्ड राज्य में भी उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 1994 में कुछ संशोधन करके अपनाया गया। तथा वर्ष 2003 में उत्तराखण्ड राज्य में पहले पंचायत चुनाव कराये गये। इन चुनावों की एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। जिसके आधार पर राज्य की महिलाओं को पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक एवं कठिन भौतिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति एवं दशा निश्चित ही दयनीय एवं चुनौतीपूर्ण हैं। क्योकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां, संसाधनों की कमी, अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारियों का अभाव ऐसे कारक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने से रोकते हैं।

समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्हें पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण दिया गया, किन्तु यह परिवर्तन नहीं कर सका, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में होने चाहिए। इसी उदेश्य को ध्यान में रखकर ही उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2008 में पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप आज पंचायत संस्थाओं के आधे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा हैं।

नैनीताल जनपद के वर्ष 2014 के पंचायत चुनावों में महिलाओं की स्थिति को तालिका 1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका–1

क्रम सख्या	पद	कुल प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि	महिला प्रतिनिधि भागीदारी प्रतिशत
1.	ग्राम प्रधान	510	266	52
2.	सदस्य क्षेत्र पंचायत	271	139	51
3.	ब्लॉक प्रमुख	8	4	50
4.	सदस्य जिला पंचायत	31	16	51
5.	अध्यक्ष जिला पंचायत	01	01	100

सरल संस्था की कार्यशाला में नैनीताल जनपद की महिला प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी जिसमे हल्द्वानी विकासखण्ड के छड़ायल नायक की प्रधान जया रावत का कहना है कि ब्लॉक में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए योजनाएँ ही नही है। एक अन्य प्रतिनिधि का कहना है कि दो साल से बजट पास होने के बाद भी काम शुरू नही हुआ। अनेकों समस्याओं को लेकर महिला प्रतिनिधि सक्षम अधिकारियों व विभागों के सामने अपनी मांगो को रख रही है पंचायतो मे आरक्षण मिलने से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ी है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत पदाधिकारियों के राजनीतिक अनुभव का महत्व बढ़ गया हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को अपना काम सफलतापूर्वक करने के लिए न केवल नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता पड़ती हैं। अपितु आवश्यक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल की भी आवश्यकता पड़ती हैं। अतः पंचायत नेतृत्व में आने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन से ही सजग और सक्रिय रहने की आवश्यकता पडती हैं। प्रायः ऐसी जागरूकता और सक्रियता नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अर्न्तगत बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी ओर यह मान लेना कि सूचनाओं से अवगत और सकारात्मक सोच रखने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधि सामुदायिक विषयों और विकास गतिविधियों के संदर्भ में सक्रिय रहते हैं अथवा प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं, यह पूर्णतः सत्य नहीं हैं।

विशेष रूप से महिला पंचायत प्रतिनिधियों के संदर्भ में ऐसा दिखाई नहीं देता हैं। अनेक ऐसे कारक तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो पंचायत व्यवस्था में पंचायत नेतृत्व के क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करते हैं। क्योंकि क्रियात्मक स्तर पर सक्रिय सहभागिता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता हैं। उत्तराखण्ड में भौगोलिक कारणों में विकेन्द्रीकरण से ही समुचित विकास संभव हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टि से विविधता पाई जाती हैं। ऐसे में नई पंचायती राज व्यवस्था की सफलता बहुत कुछ पंचायत नेतृत्व की क्षमताओं पर निर्भर करती हैं। वर्ष 2008 के उपरान्त उत्तराखण्ड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया हैं। इस आरक्षण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सहभागिता और बढ़ाया गया हैं। एवं उनमें नेतृत्व क्षमता को भी विकसित किया जा रहा हैं। उत्तराखण्ड की पंचायती राज की इस सफलता को देखते हुए ही केन्द्र सरकार संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने को प्रयासरत् हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा – **" हम पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढाकर 50 फीसदी करने जा रहे हैं। अभी पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू है। अभी पंचायत चुनावों में एक वार्ड महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित रहता हैं। यह आरक्षण पांच साल के कार्यकाल के लिए होता हैं। ताकि एक बार और अपने नेतृत्व क्षमता का विकास करने का मौका मिलें।''**

अपेक्षित जानकारियों एवं सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी के कारण महिला प्रतिनिधियों की क्रियाशीलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पडता हैं। इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी विकासखण्ड की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत प्रतिनिधियों बनने के बाद उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मे आयें परिवर्तनों का अध्ययन किया गया हैं। जिससे यह ज्ञात हो सके कि नवीन संशोधन के उपरान्त महिलाओं की सत्ता में संख्यात्मक भागीदारी में वृद्धि होने से क्या उनकी राजनीतिक सक्रियता, सहभागिता एवं सामाजिकं आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आया हैं।

नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य में भी पंचायती राज की स्थापना की गई। तथा उसमें उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर महिलाओं के लिए भी 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। परन्तु उत्तराखण्ड के संदर्भ में देखे तो स्वतन्त्रता पूर्व पर्वतीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता कम थी, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हुआ और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढने लगी। महिलाएं जागरूक तो हुई, लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी उपस्थिति बहुत कम रही। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिलने से उनकी भागीदारी और सक्रियता में थोड़ा सुधार हुआ। किन्तु यह सन्तोषजनक नहीं हैं। क्योंकि केवल संख्यात्मक वृद्धि से महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन नहीं आ सकता है। बल्कि उन्हें स्वंय आगे आना पड़ेगा। एक प्रतिनिधि के रूप में एक नेता के रूप में उन्हें सरकार समाज व देश के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना होगा। जिनके कारण वह दूसरों से पीछे हैं।

हल्द्वानी विकासखण्ड की महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर किये गये सर्वे के आधार पर हम कह सकते है कि वर्तमान समय में पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सक्रियता एवं जागरूकता बढ़ी हैं। किंतु अभी भी 56 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि विकासखण्ड मे होने वाली बैठकों में कभी–कभी ही भाग लेती हैं। जो कि एक विचारणीय पक्ष हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियों व कर्त्तव्यों से बँधी रहती हैं। जैसे घरेलू व पारिवारिक जिम्मेदारी, पुरूषों के रोजगार के लिए बाहर रहने के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी, पारिवारिक सदस्य, पशुपालन, कृषि कार्यों की जिम्मेदारी आदि, साथ ही ग्रामीणों की रूढ़िवादी सोच, जागरूकता की कमी के कारण ये महिला प्रतिनिधि पंचायतों की सभी बैठकों में भाग नहीं ले पाती हैं।

पंचायतें विधिवत् ग्रामीण विकास की सर्वाधिक सशक्त माध्यम हैं, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याओं की पहचान यह संस्थाएँ ही बड़ी कुशलता से कर सकती हैं। यह संस्थाएँ ही किसी क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होती हैं। अब समाज में परिवर्तन तेजी से हो रहा हैं, क्योंकि शत–प्रतिशत प्रतिनिधियों के क्षेत्र की महिलाएं अब पंचायतों की बैठकों में समस्याएं रखने लगी। कई बार यह देखा जाता हैं कि पंचायतों की महिला प्रतिनिधि केवल मोहर लगाने का कार्य करती हैं। उन्हें पंचायतों से सम्बन्धी अभिलेखों से कोई मतलब नहीं होता और पंचायत सम्बन्धित अभिलेख पंचायत सचिव अपने पास ही रखते हैं। कितु अब समय परिवर्तित हो रहा हैं। पंचायतों की 62 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पंचायतों की खुली एवं मासिक बैठकों से सम्बन्धित अभिलखों को हमेशा देखती हैं।

पुरूष प्रधान कहे जाने वाले समाज में पुरूषों की मानसिकता महिलाओं के प्रति बदल रही हैं। शत प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना हैं कि पुरूषों का व्यवहार उनके साथ सहयोगात्मक रहता हैं। पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता व सहभागिता को बढ़ाने में प्रशासनिक इकाई को इनके प्रति अपने रूख को बदलना होगा। उन्हें सरकारी काम–काज, योजनाओं आदि की जानकारी महिला प्रतिनिधियों को आसानी से सुलभ करानी चाहिए। क्योकि 53 प्रतिशत महिलाओं का कहना हैं कि ब्लॉक अधिकारियों का व्यवहार उनके प्रति तटस्थ व उपेक्षापूर्ण रहता हैं। महिलाओं के आर्थिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें स्वरोजगार एवं नवीन तकनीकी से जोड़ना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सरकार द्वारा कई योजनाएँ वर्तमान समय मे चलायी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ विकासखण्ड स्तर पर महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं योजनाएँ चलायी जानी चाहिए तथा इसकी जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को देनी चाहिए, जिससे वह अपने क्षेत्र की ग्रामीण जनता को इसका लाभ पहुंचा सके। तथा पंचायत राज के वास्तविक उदेश्य को पूर्ण कर सकें।

सन्दर्भ सूची

1– अवस्थी, ए पी : भारतीय राज व्यवस्था; लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा

2– आउटलुक :साप्ताहिक पंचायतों का तूफान; 22–28 अप्रैल, 2008; पृ0सं0–32

3– बहुगुणा, अंजलि एवं पूनम : उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायतें एवं महिलायें; रिसर्च इडिंया प्रेस, देहली।

4– पंचोला, राखी एवं सेमवाल, एम एम : पर्वतीय महिला एवं पंचायत राज; रिसर्च इण्डिया प्रेस, न्यू देहली

5– रावत, धन सिंह : नवीन पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन; अकित प्रकाशन, हल्द्वानी

6– पंचायत दर्शन, लखनऊ : पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0, 1990 अंक–8

7– मालवीय, एच डी : विलेज पंचायत इन इण्डिया; ए. आई. सी. सी., न्यू देहली 1956

8– सांख्यकीय पत्रिका (कुमाऊँ मण्डल) 1984, उपनिर्देशक (अर्थ एवं संख्या) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल (उ0प्र0)

9– साहित्य विशारद पं0 गरूड़ध्वज जोशी पथ प्रदर्शक – जिला नैनीताल, प्रकाशक : ट्रेक– दण्ड– टूअर्स, प्रकाशन श्रीकृष्णपुर नैनीताल पेज नं0 11 से 18

10– बलूनी, दिनेश चन्द्र : उत्तरांचल संस्कृति, लोकजीवन, इतिहास एवं पुरातत्व; प्रकाश बुक डिपो, बरेली

11– नेमा, जी पी एवं जैन, श्रीमती राजेश एवं शर्मा, हरीश्चन्द्र : भारत में राज्यों की राजनीति; कालेज बुक डिपो, जयपुर

12– दैनिक जागरण : 25 दिसम्बर 2015

13– दैनिक जागरण : 5 फरवरी 2016